प्रेस नोट

आईएसआई एजेंट उत्तराखंड से गिरफ्तार

दिनांक : 24-05-18

दिनाँक 22-5-18 को मिलिट्री इंटेलीजेन्स की जम्मू कश्मीर यूनिट, उत्तराखंड पुलिस तथा उत्तर प्रदेश एटीएस की संयुक्त कार्यवाही में जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखंड से संदिग्ध आईएसआई एजेंट रमेश को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण

रमेश सिंह पुत्र आन सिंह
निवासी-गराली जौलजीबी, डीडीहाट गराली खोली, पिथौरागढ, उत्तराखण्ड

दिनाँक-3-5-17 को UP ATS द्वारा मिलिट्री इंटेलिजेंस के सहयोग से आफताब निवासी फैज़ाबाद को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उससे हुई पूछताछ और विवेचना से कुछ और ISI एजेन्ट UP ATS के रडार पर आए। इस सम्बन्ध में दिनांक 20-5-18 को थाना-एटीएस, गोमतीनगर लखनऊ पर मु.अ.सं.-4/18, धारा-121A IPC तथा 3/4/5/9 शासकीय गोपनीयता अधिनियम दर्ज किया गया।

विवेचना के क्रम में दिनाँक-22-5-18 को पिथौरागढ़ निवासी रमेश सिंह से पूछताछ की गयी और उसके घर की तलाशी ली गई। रमेश ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने राष्ट्र-विरोधी कृत्यों के बारे में काफी कुछ बताया जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से एक पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है जो इसे ISI द्वारा संपर्क करने के लिए दिया गया था। इस मोबाइल के data extraction से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की उम्मीद है।

पूछताछ जारी है। कल अभियुक्त को पिथौरागढ़ की अदालत में पेश किया गया तथा वहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है।

विवरण:

रमेश सिंह भारतीय उच्चायोग में नियुक्त एक अधिकारी के साथ घरेलू कार्य के लिए इस्लामाबाद वर्ष 2015 में गया था। वहां उसका संपर्क ISI के लोगों से हुआ जिन्होंने उसको अपना एजेन्ट बना लिया। इसने वहां रहते हुए तमाम सूचनाएं लीक कीं जिसके लिए इसे डॉलर में धन मिलता था। जब यह छुट्टी में भारत आता था तो डॉलर साथ लाता था और दिल्ली में रूपये में परिवर्तित कर अपने गाँव ले जाता था। सितम्बर 2017 में रमेश वापस भारत आ गया। इसे पाकिस्तानी ISI अधिकारियों द्वारा भारत में जासूसी करने के लिए कहा गया और क्यू-मोबाइल ब्रांड का एक फ़ोन दिया गया जिसमे शक है कि spyware हो सकता है जिसके लिए इसका फोरेसिक परीक्षण कराया जाएगा।

बरामदगी

- ISI द्वारा दिया गया मोबाइल।
- एक अन्य मोबाइल।
- 3 सिम जिनमे एक पाकिस्तानी सिम भी है।

अग्रिम कार्यवाही:

आरोपी रमेश को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ लाया जा रहा है जहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड के लिए आवेदन दिया जाएगा। रिमांड पर इससे पूछा जाएगा कि---

- इसने क्या-क्या सूचनाएं लीक कीं?
- इसे कितना धन मिला?
- उत्तर प्रदेश में कौन से टारगेट की जासूसी की ज़िम्मेदारी दी गयी थी?
- जो धन मिला उसका क्या किया?

उक्त अभियुक्त को श्री राजेश साहनी, अपर पुलिस अधीक्षक-यूपी एटीएस के नेतृत्व में निरीक्षक मंजीत सिंह की टीम उ.नि. शैलेन्द्र गिरी, कम्प्यूटर ऑपरेटर वकील अहमद, आरक्षी हरीश व आरक्षी मनोज द्वारा गिरफ्तार किया गया।

फोटो के लिए निम्न लिंक पर जाए –

https://drive.google.com/open?id=1NqIzE-iq6k2GoU7F-FP-NAZYoztywvp6